

प्रारूप-1
(भाग तीन)

निराश्रित / आयु / अचल संपत्ति का प्रमाण पत्र

(यह प्रमाण पत्र ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम पंचायत द्वारा तथा शहरी क्षेत्र के लिये
नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत द्वारा दिया जावेगा)

मैं एतद् द्वारा यह प्रमाणित करता हूँ / करती हूँ कि आवेदक का नाम (वल्दियत सहित) निवासी (वर्तमान पूर्ण पता सहित) वृद्ध / विकलांग / विधवा / परित्यक्त है । आवेदक वयस्क है तथा निर्वाचक नामावली के आधार पर आवेदक की वर्तमान आयु वर्ष है / आवेदक वयस्क है तथा ग्राम पंचायत / नगरीय निकाय द्वारा संधारित जन्म पंजी या चिकित्सक के प्रमाण पत्र या स्कूल के प्रमाण पत्र के आधार पर आवेदन की वर्तमान आयु वर्ष है ।

(1) आवेदक पूर्णतः निराश्रित है क्योंकि :-

(अ) आवेदक भूमिहीन है अथवा उसके पास आय के पर्याप्त साधन नहीं है ।
या

(ब) उसके पुत्र / पौत्र भूमिहीन है या उनके भूमि / संपत्ति होते हुए भी जीवीकोपार्जन के लिए वर्तमान अर्जित आमदनी पर्याप्त नहीं होने से आवेदक का भरण पोषण करने में असमर्थ है ।

(2) आवेदक 6 से 18 वर्ष का विकलांग शालेय छात्र है तथा उसके परिवार की समस्त स्त्रोतों से होने वाली वार्षिक आय रुपये है जो गरीबी की रेखा हेतु शासन द्वारा निर्धारित सीमा से कम है ।

(3) आवेदक मध्यप्रदेश का मूल निवासी है ।

प्रमाणकर्ता के हस्ताक्षर
(ग्राम एवं पदनाम सहित)
ग्राम पंचायत / नगर निगम / नगर पालिका / नगर पंचायत
द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

स्थान

दिनांक